फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामेश्वरगिरी — विपक्षी : श्री हीरालाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 139/18

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.01.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 5 द्वारा लिखित बहस पेश की, शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 5 द्वारा अपनी बहस में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होकर उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार हैं। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। यदि खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो खातेदार के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Upendra Kumar Sharma Date: 2024.02.15 10:16:02 IST Reason: SelfAttested (उपेन्द्र कुमार शर्मा) सहायक कलक्टर (FT) मावली	